न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा राजस्थान

पीठासीन अधिकारी -डॉ. सरोज सींवर, आर.जे.एस.

[जिला न्यायाधीश संवर्ग]

सेशन प्रकरण संख्या 164/2025
तारीख मूल दायरा 19.09.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2024
पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाड़ा

राजस्थान राज्य

--अभियोगी

बनाम

1. सन्दू उर्फ चन्दू पुत्र लक्ष्मण गणावा उम्र 26 वर्ष निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान।
2. नन्दू पुत्र लक्ष्मण गणावा उम्र 35 वर्ष निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान।
3. पंकज पुत्र लक्ष्मण गणावा उम्र 36 वर्ष निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान।
4. श्रीमती हीरा पत्नी नन्दू निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान।
5. श्रीमती तुलसी पत्नी पंकज निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान।
6. श्रीमती शीला पत्नी चन्दू निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान।

-- अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 117(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित -

1- श्री गौरव उपाध्याय, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री हरिविष्णु पुरोहित, अधिवक्ता, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय दिनांक – 18.06.2026

1. थानाधिकारी पुलिस थाना आम्बापुरा बांसवाड़ा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2024 में अनुसंधान के उपरान्त अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज, श्रीमती हीरा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती शीला के विरूद्ध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अपराध का आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण श्रीमान सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा को कमिट किया गया, जहां से प्रकरण की पत्रावली विधिनुसार सुनवाई, निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.2024 को समय 03.49 पी.एम. पर पुलिस थाना आम्बापुरा पर परिवादी शंकर पुत्र मकू गणावा निवासी शक्तिनगर नादिया थाना आम्बापुरा जिला बांसवाड़ा ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके भाई राजू पुत्र मकू गणावा निवासी शक्तिनगर नादिया की औरत श्रीमती सीता पत्नी राजू गणावा दिनांक 07.10.2024 को करीब 11.30 बजे को कपास में डालने वाली जहरीली दवाई पी ली थी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाने से बांसवाड़ा उसके भाई की इक्को गाड़ी में सीता को लेकर इलाज हेतु उसका भाई राजू व उसकी मां श्रीमती कोदरी दोनों लेकर सरकारी अस्पताल एम.जी.एच. बांसवाड़ा लेकर पहुँचे व सीता को भर्ती करा इलाज चालू कराया। इलाज के दौरान उसकी बहू सीता की अस्पताल में मौत हो गई। मौत होने के पश्चात् उसका भाई राजू उसकी मां कोदरी को अस्पताल में छोड़कर बांसवाड़ा से इक्को गाडी लेकर निकल गया। उसके भाई विश्राम और प्रभू पुत्र गौतम मईड़ा व राहुल पुत्र मदन तीनों बांसवाड़ा जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इतने में राजू उसका भाई अपनी इक्को गाड़ी लेकर राहुल के मकान पर पहुंचा और राजू तेज गति से गाड़ी चलाता हुआ माही बैक-वाटर की तरफ जाने लगा तो विश्राम, प्रभु, राहुल व मनोज व श्रीमती भूली पत्नी विकास, सुश्री कला पुत्री

शंकर निवासी शक्तिनगर के दौड़े और राजू ने अपनी इक्को गाड़ी सीसी रोड पर खड़ी करके लक्ष्मण भगत के घर की तरफ जाने लगा तो इसके पीछे परिजनों ने राजू को रोकने की कोशिश की, मगर राजू नहीं माना और रोड से राजू जोर-जोर से चिल्लाता हुआ लक्ष्मण के घर गया व आंगन में जाकर राजू ने कहा कि चन्दू कहाँ है, उसकी वजह से उसकी पत्नी ने जहर पी लिया है और मर गई है। इतना कहते ही लक्ष्मण के घर में से नन्दू, चन्दू, पंकज, लक्ष्मण पिता रावजी, श्रीमती हीरा पत्नी नन्दू, श्रीमती तुलसी पत्नी पंकज, श्रीमती चम्पा पत्नी लक्ष्मण, श्रीमती उषा पत्नी पंकज, श्रीमती शीला पत्नी चन्दू निवासीयान शक्तिनगर नादिया के हाथों में लठ व सरिया लेकर राजू के साथ मारपीट करने लगे। मौके पर राजू का बीचबचाव करने विश्राम पुत्र मकू, राहुल पुत्र मदन, श्रीमती भूली पत्नी विकास व सुश्री कला पुत्री शंकर तथा मनोज उसका लड़का सभी राजू का बीचबचाव करने गये तो भी ये लोग राजू के साथ मारपीट करने लगे। इन लोगों को राजू के साथ मारपीट होते उन सबने देखा है। उन सभी ने राजू को मत मारो, यह भी कहा, पर ये लोग हमारी बात भी नहीं मान रहे थे। इन लोगों ने राजू के साथ मारपीट कर लक्ष्मण, नन्दू, चन्दू व पंकज चारों ने मिलकर राजू को रस्सियों से बांध दिया और उसके साथ लठ, लातों-घूंसों से मारपीट करने लगे। राजू चिल्ला रहा था, इन लोगों ने राजू को मां बहन की गालियां भी दी है। इस घटना की जानकारी उसे विश्राम ने दी है। विश्राम अभी सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जैरे इलाज है, इसलिए वह रिपोर्ट पेश कर रहा है। इन लोगों ने राजू व विश्राम के साथ मारपीट कर राजू को बांध दिया व उसके साथ लठ व लातों-घूंसों से व सरिया से मारपीट कर घायल कर दिया है जो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। अंत में कानूनी कार्यवाही का निवेदन किया।

3. उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 242/2024 अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज के विरुद्ध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता एवं अभियुक्तगण श्रीमती हीरा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती शीला के विरुद्ध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2)

भारतीय न्याय संहिता के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर, प्रकरण श्रीमान सेशन न्यायालय, बांसवाड़ा को कमिट किया गया, जहां से प्रकरण की पत्रावली विधिनुसार विचारण हेतु अंतरित होकर दिनांक 20.09.2025 को बहस चार्ज की स्टेज पर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

4. न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज के विरुद्ध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 117(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता तथा अभियुक्तगण श्रीमती हीरा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती शीला के विरुद्ध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप बनने पाए जाने पर अभियुक्तगण को उक्त अपराध के आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में **मौखिक साक्ष्य** में **पी.ड.01 राजू, पी.ड.2 विश्राम, पी.ड.3 रामा, पी.ड.4 मोगजी, पी.ड.5 शंकरलाल, पी.ड.6 राहुल, पी.ड.7 प्रभुलाल, पी.ड.8 मनोज, पी.ड.9 मंगलचंद, पी.ड.10 मुकेश कुमार मईड़ा, पी.ड.11 उदयसिंह, पी.ड.12 प्रकाशचन्द्र पाटीदार, पी.ड.13 सुश्री कला, पी.ड.14 नारू, पी.ड.15 भूली** के बयान लेखबद्ध करवाये गये।

6. अभियोजन की ओर से **प्रलेखीय साक्ष्य** में निम्नलिखित दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गयाः-

प्रदर्श पी.1	पुलिस कथन राजू,
प्रदर्श पी.2	चोट प्रतिवेदन राजू
प्रदर्श पी.3	पुलिस कथन विश्राम
प्रदर्श पी.4	चोट प्रतिवेदन विश्राम
प्रदर्श पी.5	नक्शा व हालात मौका
प्रदर्श पी.6	लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट

प्रदर्श पी.7	पुलिस कथन शंकरलाल
प्रदर्श पी.8	पुलिस कथन राहुल
प्रदर्श पी.9	पुलिस कथन प्रभूलाल
प्रदर्श पी.10	पुलिस कथन मनोज
प्रदर्श पी.11	चाक एफआईआर
प्रदर्श पी.11	मजरूबान का मेडिकल मुआयना कराने हेतु तहरीर
प्रदर्श पी.12	मजरूब राजू की चोटों के संबंध में राय हेतु तहरीर
प्रदर्श पी.14	फर्द गिरफ्तारी पंकज
प्रदर्श पी.15	फर्द गिरफ्तारी चन्दू
प्रदर्श पी.16	फर्द गिरफ्तारी नन्दू
प्रदर्श पी.17	फर्द सूचना अभियुक्त नन्दू
प्रदर्श पी.18	फर्द सूचना अभियुक्त सन्दू उर्फ चन्दू
प्रदर्श पी.19	फर्द सूचना अभियुक्त पंकज
प्रदर्श पी.20	फर्द तस्दीक घटनास्थल
प्रदर्श पी.21	फर्द सूचना अभियुक्त पंकज
प्रदर्श पी.22	फर्द सूचना अभियुक्त नन्दू
प्रदर्श पी.23	फर्द सूचना अभियुक्त सन्दू उर्फ चन्दू
प्रदर्श पी.24	पुलिस कथन सुश्री कला
प्रदर्श पी.25	पुलिस कथन सुश्री भूली

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेखबद्ध किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने साक्ष्य अभियोजन को गलत बताया तथा कहा कि गवाह झूठ बोलते हैं। अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष व झूठा फंसाया जाना कथन किया। अभियुक्तगण ने प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

8. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अवधार्य प्रश्न यह हैं किः-

(अ) क्या अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज, श्रीमती हीरा, श्रीकमती तुलसी, श्रीकती शीला ने दिनांक 07.10.2024 व 08.10.2024 की मध्य रात्रि में 02 बजे बाद मौजा शक्तिनगर नादिया में विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया और उसके सदस्य बने रहे तथा राजू व विश्राम को रोककर सदोष अवरोधित किया तथा राजू व विश्राम को स्वेच्छया लात-मुक्कों व कुन्द आलय से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित कीं तथा राजू व विश्राम को लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अश्लील गालीगलौच की तथा राजू को रस्सी से बांधकर सदोष परिरोधित किया तथा राजू को स्वेच्छया कुन्द आलय से गम्भीर उपहतियाँ अस्थिभंग कारित कीं?

(ब) क्या अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर इस आशय एवं ज्ञान से यह जानते हुए कि लठ से किसी व्यक्ति के शरीर मार्मिक स्थल पर चोट कारित करने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर भी आहत राजू को प्राणघातक उपहतियाँ कारित कीं, यदि उससे राजू की मृत्यु हो जाती तो उक्त अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज हत्या के अपराध के दोषी होते?

9. उपर्युक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाहान को पेश कर परीक्षित करवाया गया है, जिनमें परिवादिया गवाह पी.ड.1 राजू ने अपने बयानों में अभिव्यक्त किया है कि उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुई। पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस में उसके बयान नहीं हुए थे। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस बयान प्रदर्श पी-1 है, जिसका ए से बी भाग, "दिनांक 07.10.2024......... गम्भीर चोटें आई है।" गवाह ने सुना, सुनकर कहा कि ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं दिया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं उक्त चोटें उसके गिरने से आई थी। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आज वह झूठे बयान दे रहा हो।

10. गवाह पी.ड.2 विश्राम ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि उसके साथ कोई घटना कारित नहीं हुई। पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की। पुलिस में उसके बयान नहीं हुए थे। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस बयान प्रदर्श पी-3 है जिसका ए से बी भाग, "दिनांक 07.10.2024........देखभाल साथ में था।" गवाह ने सुना, सुनकर कहा कि ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं दिया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त चोटें उसके गिरने से आई थी। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आज वह झूठे बयान दे रहा हो।

11. गवाह पी.ड.3 रामा ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की। वह किसी कार्यवाही के बारे में नहीं जानता है। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस के कहने पर किए थे, किस बात के किए थे उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आज वह झूठे बयान दे रहा हो।

12. गवाह पी.ड.04 मोगजी ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की। वह किसी कार्यवाही के बारे में नहीं जानता है। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस के कहने पर किए थे, किस बात के किए थे उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि वह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आज वह झूठे बयान दे रहा हो।

13. गवाह पी.ड.5 शंकरलाल ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि करीब डेढ़ साल पहले की बात है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका प्रदर्श पी-5 है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। सीता मेरी बहू थी उसकी मृत्यु हो गई है। उसने कोई घटना नहीं देखी थी। वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी-7 का ए से बी भाग, ''घटना दिनांक 0710.2024.................. बांध दिया है। गवाह ने सुना, सुनकर कहा ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि सीता ने दिनांक 07.10.2024 को रात 11:30 बजे कपास में डालने वाली जहरीली दवाई पी हो, जिसकी दौराने इलाज मौत होने के बाद राजु, लक्ष्मण के घर गया हो, जहाँ नन्दु, चन्दु, पंकज, लक्ष्मण, श्रीमती हीरा, तुलसी, चम्पा, उषा, शीला निवासीयान शक्तिनगर नादिया ने हाथों में लठ्ठ व सलिया लेकर राजू के साथ मारपीट की हो और राजू को लक्ष्मण, नन्दु, चन्दु, पंकज ने रस्सी से बांध दिया हो। यह कहना सही है कि उनका राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हो।

14. गवाह पी.ड.6 राहुल ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी थी। वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी-8 का ए से बी भाग, "श्रीमती सीता................. मारपीट की है'' गवाह ने सुना, सुनकर कहा ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि सीता ने दिनांक 07.10.2024 को रात 11:30 बजे कपास में डालने वाली जहरीली दवाई पी ली हो, जिसकी दौराने इलाज मौत होने के बाद राजु, लक्ष्मण के घर गया हो जहाँ नन्दु, चन्दु, पंकज, लक्ष्मण, श्रीमती हिरा, तुलसी, चम्पा, उषा, शीला निवासीयान शक्तिनगर नादिया ने

हाथों में लठ्ठ, सरिया वगैरह लेकर राजू के साथ मारपीट की हो और राजू को लक्ष्मण, नन्दु, चन्दु, पंकज ने रस्सी से बांध दिया हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर राजू को छुड़ाने गया हो और उसके सामने घटना हुई हो। यह कहना सही है कि उनका राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हो।

15. गवाह पी.ड.7 प्रभूलाल ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी थी। वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए थे पुलिस बयान प्रदर्श पी-09 का ए से बी भाग, "श्रीमती सीता................. मारपीट की है" गवाह ने सुना, सुनकर कहा ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि सीता ने दिनांक 07.10.2024 को रात 11:30 बजे कपास में डालने वाली जहरीली दवाई पी ली हो, जिसकी दौराने इलाज मौत होने के बाद राजू, लक्ष्मण के घर गया हो जहाँ नन्दु, चन्दु, पंकज, लक्ष्मण, श्रीमती हिरा, तुलसी, चम्पा, उषा, शीला निवासीयान शक्तिनगर नादिया ने हाथों में लठ्ठ, सलिया वगैरह लेकर राजू के साथ मारपीट की हो और राजू को लक्ष्मण, नन्दु, चन्दु, पंकज ने रस्सी से बांध दिया हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर राजू को छुड़ाने गया हो और उसके सामने घटना हुई हो। यह कहना सही है कि उनका राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हो।

16. गवाह पी.ड.8 मनोज ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसने कोई घटना नहीं देखी थी। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए थे पुलिस बयान प्रदर्श पी-10 का ए से बी भाग, " श्रीमती सीता................. मारपीट की है" गवाह ने सुना, सुनकर कहा ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि सीता ने दिनांक 07.10.2024 को रात 11:30

बजे कपास में डालने वाली जहरीली दवाई पी ली हो, जिसकी दौराने इलाज मौत होने के बाद राजू, लक्ष्मण के घर गया हो जहॉ नन्दु, चन्दु, पंकज, लक्ष्मण, श्रीमती हिरा, तुलसी, चम्पा, उषा, शीला निवासीयान शक्तिनगर नादिया ने हाथों में लठ्ठ, सलिया वगैरह लेकर राजू के साथ मारपीट की हो और राजू को लक्ष्मण, नन्दु, चन्दु, पंकज ने रस्सी से बांध दिया हो। यह कहना गलत है कि वह मौके पर राजू को छुडाने गया हो और उसके सामने घटना हुई हो। यह कहना सही है कि उनका राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान को बचाने के लिए आज झूठे बयान दे रहा हो।

17. गवाह पी.ड.09 मंगलचंद ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसने कोई घटना नहीं देखी थी। पुलिस ने उसके सामने कोई घटनास्थल का नक्षा मौका नहीं बनाया था। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए थे।

18. गवाह पी.ड.10 मुकेश कुमार मईड़ा ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि वह दिनांक 06.01.2023 को सीएचसी छोटी सरवन में चिकित्साधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन पुलिस थाना आम्बापुरा के प्रकरण संख्या 242/24 में मजरूह राजू पिता मकु व विश्राम पिता मकु निवासीयान शक्तिनगर नादिया थाना आम्बापुरा के शरीर पर आई चोटो का चोट प्रतिवेदन दिलाने बाबत तहरीर प्राप्त हुई थी जो प्रदर्श पी-11 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। राजू का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 है, जिस पर ए से बी राजू के हस्ताक्षर हैं सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं, जिसकी चोटें निम्न है-

1. दाएं पांव में घुटने से लेकर टकने तक प्लास्टर चढा हुआ था, जिसे एम जी एच बांसवाडा में एक्स रे किया था जिसमें हड्डी पर फ्रेक्चर पाया गया और रॉड डाली हुई थी। उक्त चोट गंभीर प्रकृति की थी।

2. राजू के बायीं कलाई पर प्लास्टर चढा हुआ था, चोट सामान्य प्रकृति की थी।

विश्राम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी- 4 है जिस पर ए से बी विश्राम के , सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं निम्न चोटें पाई गई-

1. विश्राम के दाएं पांव घुटने के नीचे दो खरोंच के निशान 3 गुणा 7 सेन्टीमीटर व 1 गुणा 4 सेमी की होकर सामान्य प्रकृति की थी जो घाव ठीक हो चुका था।

19. गवाह पी.ड.11 उदयसिंह ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि वह दिनांक 09.10.2024 को पुलिस थाना आम्बापुरा में एएसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रार्थी शंकर ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 थाने पर पेश की थी जिस पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2) बीएनएस में दर्ज किया जाकर अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया था, जो प्रदर्श पी-6 पर सी से डी तत्कालीन एस एचओ कालुलाल के हस्ताक्षर हैं जिनके अधीन कार्यरत होने से उनके हस्ताक्षर पहचानता है। चाक एफ आई आर प्रदर्श पी-11 है उसके द्वारा प्रकरण में प्रार्थी शंकर व गवाहन् राजू, विश्राम, शंकरलाल, राहुल, प्रभुलाल, मनोज, श्रीमती भुली, सुश्री कला वगैरह के कथनानुसार बयान लेखबद्ध किए गए थे। प्रार्थी शंकरलाल की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण रूबरू मौतबीरान के किया था जो प्रदर्श पी-5 है जिस पर ए से बी व सी से डी मौतबीर गवाह के, ई से एफ शंकरलाल के, जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। मजरूह राजू व विश्राम के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन दिलाने बाबत सी एच सी छोटी सरवन के नाम तहरीर जारी कि थी जो प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी चिकित्साधिकारी के, सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। राजू का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-2 है जो शामिल पत्रावली है। विश्राम का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-4 है जो शामिल पत्रावली है। मजरूह राजू के चोट प्रतिवेदन में लिखी चोटों की राय जानने बाबत सीएचसी छोटी सरवन को तहरीर जारी कि थी, जो प्रदर्श पी-12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर हैं, ई से एफ डॉक्टर की राय है। बाद अनुसंधान पत्रावली की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली तत्कालीन थानाधिकारी को सुपुर्द कर दी थी।

20. गवाह पी.ड.12 प्रकाशचन्द्र पाटीदार ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि वह दिनांक 01.04.2025 को पुलिस थाना आंवापुरा में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाने के प्रकरण संख्या

242/2024 थाना आंबापुरा के प्रकरण का अनुसन्धान पूर्व अनुसंधान अधिकारी उदयसिंह एएसआई के द्वारा किया जा रहा था, जिसका स्थानान्तरण हो जाने से अग्रिम अनुसन्धान हेतु पत्रावली उसे प्राप्त हुई थी। अभियुक्त पंकज पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी शक्तिनगर नादिया थाना आंबापुरा जिला बांसवाडा के विरूद्ध अपराध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 252, 127(2), 109 बीएनएस का जुर्म प्रमाणित होने से जरिए फर्द गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी बनाई थी, जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी अभियुक्त पंकज के सी से डी व ई से एफ मोतबीर गवाह के जी से एच उसके व एक्स स्थान पर पंकज का फोटो चस्पा है। उसी दिन अभियुक्त चंदू पिता लक्ष्मण भील निवासी शक्तिनगर नादिया थाना आंबापुरा जिला चांसवाडा के विरूद्ध अपराध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 252, 127(2), 109 बीएनएस का जुर्म प्रमाणित होने से जरिए फर्द गिरफतार किया था, जिसकी फर्द गिरफतारी बनाई थी जो प्रदर्श पी-15 है, जिस पर ए से बी अभियुक्त चन्दु के, सी से डी व ई से एफ मोतबीर गवाह के जी से एच उसके व एक्स स्थान पर चन्दु का फोटो चस्पा है। उसी दिन अभियुक्त नन्दु पिता लक्ष्मण भील निवासी शक्तिनगर नादिया थाना आंबापुरा जिला बांसवाडा के विरुद्ध अपराध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 252, 127(2), 109 बीएनएस का जुर्म प्रमाणित होने से जरिए फर्द गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी बनाई थी जो प्रदर्श पी-16 है जिस पर ए से बी अभियुक्त नन्दु के सी से डी व ई से एफ मोतबीर गवाह के जी से एच उसके व एक्स स्थान पर नन्दु का फोटो चस्पा है। जेर हिरासत अभियुक्तगण नन्दु, चन्दु, व पंकज ने उसको स्वेच्छापूर्वक सूचना दी कि दिनांक 08.10.2024 को रात्रि को करीब 2 बजे जिस जगह मारपीट की थी वह जगह चलकर बता सकता है। धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी-17, प्रदर्श पी-18, प्रदर्श पी-19 है जिस पर ए से बी अभियुक्तगण के व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। सूचना के मुताबिक मौके पर पहुँच अभियुक्त की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक की थी जो प्रदर्श पी-20 है जिस पर ए से बी व सी से डी व ई से एफ, जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं, आई से जे व के से एल मोतवीर गवाहान के हस्ताक्षर हैं। जेर हिरासत अभियुक्तगण नन्दु, पंकज, और चन्दु ने उसको धारा 23(2) साक्ष्य अधिनियम की सूचना दी जो प्रदर्श पी-21, प्रदर्श पी-22, प्रदर्श पी 23 है जिस पर ए से बी अभियुक्तगण के व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। बाद सम्पूर्ण

अनुसन्धान के अभियुक्त पंकज पिता लक्ष्मण जाति भील निवासी शक्तिनगर नादिया थाना आंबापुरा जिला बांसवाडा व अभियुक्त चंन्दु पिता लक्ष्मण शक्तिनगर नादिया थाना आंबापुरा जिला बांसवाडा व अभियुक्त नन्दु पिता लक्ष्मण शक्तिनगर नादिया थाना आंबापुरा जिला बांसवाडा के विरूद्ध अपराध धारा 189(2), 126(2), 115(2), 252, 127(2), 109 बीएनएस का जुर्म प्रमाणित होने से उनके विरूद्ध चार्जशीट सक्षम न्यायालय में पेश की थी।

21. गवाह पी.ड.13 सुश्री कला ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि उसने कोई घटना नहीं देखी है। वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानती है। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी-24 का ए से बी भाग, काका श्री राजू .... मारपीट की है।'' गवाह ने सुना, सुनकर कहा उसने ऐसा बयान पुलिस को नहीं लिखवाया है। यह कहना गलत है कि सीता ने दिनांक 07.10.2024 को रात 11:30 बजे जहरीली दवाई पी हो जिसकी दौराने इलाज मौत होने के बाद राजू, लक्ष्मण के घर गया हो जहाँ चन्दु, नन्दु, पंकज, लक्ष्मण ,श्रीमती हिरा, तुलसी, चम्पा, उषा, शीला वगैरह ने लठ्ठ सलिया लेकर राजू के साथ मारपीट की हो और राजू को रस्सी से बांध दिया हो। यह कहना गलत है कि उसने भी घटना देखी हो। यह बात सही है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि वह आज मुलजिमान को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो।

22. गवाह पी.ड.14 नारू ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है कि फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी-20 पर के से एल उसके हस्ताक्षर हैं।

23. गवाह पी.ड.15 भूली ने अपनी साक्ष्य में अभिव्यक्त किया है किवह घटना के बारे में कुछ नहीं जानती। इस स्टेज पर अपर लोक अभियोजक की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। प्रतिपरीक्षण द्वारा अपर लोक अभियोजक में इस गवाह ने कथन किए हैं कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 25 का ए से बी भाग "काका बाबा....मारपीट की है।" गवाह ने सुना और ऐसा बयान

पुलिस को देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि राजू की पत्नी सीता ने दिनांक 07.10.2024 रात 11.30 बजे जहरीली दवाई पी ली हो और उसे एमजी अस्पताल ले गए हो, तब वह घर पर हो, तब रात 2.00 बजे लक्ष्मण भगत के घर से चिल्लाने की आवाज पर उसने बाहर निकलकर देखा हो, तो राजू को चंदु, नंदु व पंकज ने पकड़ रखा हो और उसके साथ मारपीट कर रहे हो। यह कहना गलत है कि बीच-बचाव करने आए विश्राम से भी इन लोगों ने मारपीट की हो। यह सही है कि दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने से अभियुक्तगणों को बचाने के लिए वह आज न्यायालय में झूठे बयान दे रही हो।

24. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में परिवादी पी.ड.5 शंकरलाल, आहतगण पी.ड.1 राजू, पी.ड.2 विश्राम, अन्य गवाहान पी.ड.3 रामा, पी.ड.4 मोगजी, पी.ड.6 राहुल, पी.ड.7 प्रभुलाल, पी.ड.8 मनोज, पी.ड.9 मंगलचंद, पी.ड.13 सुश्री कला, पी.ड.15 भूली पूर्णतया पक्षद्रोही हुए हैं तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध किंचित मात्र भी साक्ष्य नहीं देते हैं। ऐसे में चिकित्सीय साक्ष्य एवं अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होना नहीं बताकर अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया गया। वहीं विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किए जाने का निवेदन किया गया।

25. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी.6 प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार अभियोजन की यह कहानी रही है कि परिवादी पी.ड.5 शंकरलाल के भाई आहत पी.ड.1 राजू की पत्नी श्रीमती सीता ने कपास में डालने वाली जहरीली दवाई पी ली थी, जिसकी इलाज के दौरान महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाड़ा में मृत्यु हो गई थी। मृतका सीता की मृत्यु से व्यथित होकर राजू मौजा शक्तिनगर नादिया में लक्ष्मण के घर के आंगन में गया और पूछा कि चन्दू कहां है? उसकी वजह से उसकी पत्नी ने जहर पी लिया है। राजू के पीछे-पीछे विश्राम व अन्य परिजन भी वहाँ पर गए। तब अभियुक्तगण सन्दू

उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज, श्रीमती हीरा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती शीला ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन कर राजू, विश्राम को रोककर स्वेच्छया कुन्द आलय से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित की तथा गालीगलौच की तथा राजू को रस्सी से बांध कर कुन्द आलय से गम्भीर उपहति अस्थिभंग कारित की एवं अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज ने राजू को प्राणघातक उपहति कारित की। प्रदर्श पी.6 प्रथम सूचना के अनुसार घटना के समय मौके पर राजू का बीचबचाव राहुल पुत्र मदन, श्रीमती भूली पत्नी विकास, कला पुत्री शंकर, मनोज द्वारा किया गया था।

26. उक्त अभियोजन कहानी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य का विवेचन, विश्लेषण किया जाए तो परिवादी पी.ड.5 शंकरलाल ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी.6 लिखित रिपोर्ट, प्रदर्श पी.5 नक्शा मौका पर अपने हस्ताक्षर बताए हैं। परन्तु स्वयं द्वारा कोई घटना नहीं देखने और घटना के बारे में कुछ नहीं जानना बताया है। यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है तथा प्रतिपरीक्षण अपर लोक अभियोजक में पुलिस को बयान प्रदर्श पी.7 देने से इनकार करता है। इस गवाह ने आपसी राजीनामा हो जाना स्वीकार किया है तथा प्रतिपरीक्षण अधिवक्ता अभियुक्तगण में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.6 व नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 में क्या लिखा पता नहीं होना और कोरे कागज पर थाने पर हस्ताक्षर करना बताता है। इस प्रकार परिवादी पी.ड.5 शंकरलाल द्वारा प्रदर्श पी.6 लिखित रिपोर्ट में अंकित घटनाक्रम, तथ्यों की किंचित मात्र भी ताईद नहीं की है तथा घटना के बारे में कुछ नहीं जानना बताया है। ऐसे में अभियोजन का मामला प्रारम्भ में ही कमजोर हो जाता है।

27. प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी आहत पी.ड.1 राजू भी पूर्णतया पक्षद्रोही हुआ है तथा स्वयं के साथ कोई घटना कारित नहीं होना बताता है। प्रतिपरीक्षण अपर लोक अभियोजक में गवाह ने पुलिस को बयान प्रदर्श पी.1 देने से इनकार किया है तथा स्वयं के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1 पर अपने हस्ताक्षर होना कथन कर उसके चोटें गिरने से आना बताता है। आहत पी.ड.1 राजू ने अपनी साक्ष्य में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिया है और न ही किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दी है।

28. प्रकरण का अन्य आहत पी.ड.2 विश्राम भी पूर्णतया पक्षद्रोही हुआ है तथा स्वयं के साथ कोई घटना कारित नहीं होना बताता है। प्रतिपरीक्षण अपर लोक अभियोजक में गवाह ने पुलिस को बयान प्रदर्श पी.3 देने से इनकार किया है तथा स्वयं के चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.4 पर अपने हस्ताक्षर होना कथन कर उसके चोटें गिरने से आना बताता है। आहत पी.ड.1 विश्राम ने अपनी साक्ष्य में किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं लिया है और न ही किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दी है।

29. घटनास्थल के नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 के साक्षीगण पी.ड.3 रामा, पी.ड.4 मोगजी भी पूर्णतया पक्षद्रोही हुए हैं तथा पुलिस द्वारा स्वयं के समक्ष कार्यवाही किए जाने से इनकार करते हैं। प्रतिपरीक्षा अपर लोक अभियोजक में इन गवाहान ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करना, किस बात के किए थे, पता नहीं होना बताया है। ऐसे में नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 व उसमें अंकित तथ्य साबित नहीं होते हैं।

30. चक्षुदर्शी, बीचबचाव करने वाले साक्षीगण पी.ड.6 राहुल, पी.ड.7 प्रभूलाल, पी.ड.8 मनोज, पी.ड.9 मंगलचंद, पी.ड.13 सुश्री कला, पी.ड.15 श्रीमती भूली भी पूर्णतया पक्षद्रोही हुए हैं तथा स्वयं द्वारा घटना नहीं देखने एवं घटना की जानकारी नहीं होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण अपर लोक अभियोजक में इन गवाहान ने पुलिस बयान देने से इनकार किया है। इन सभी साक्षीगण की साक्ष्य के अनुसार पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है। प्रतिपरीक्षण अधिवक्ता अभियुक्तगण में इन साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तथा अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की थी। इस प्रकार उक्त साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को समर्थन प्राप्त नहीं होता है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होते हैं

31. चूंकि अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्षीगण परिवादी पी.ड.5 शंकरलाल, आहतगण पी.ड.1 राजू, पी.ड 2 विश्राम, नक्शा मौका प्रदर्श पी.5 के साक्षीगण पी.ड.3 रामा, पी.ड.4 मोगजी एवं चक्षुदर्शी, बीचबचाव करने वाले साक्षीगण पी.ड.6 राहुल, पी.ड.7 प्रभूलाल, पी.ड.8 मनोज, पी.ड.9 मंगलचंद, पी.ड.13 सुश्री कला, पी.ड.15 श्रीमती भूली पूर्णतया पक्षद्रोही हुए हैं तथा

अभियोजन कहानी के समर्थन में लेशमात्र भी साक्ष्य नहीं देते हैं। ऐसे में प्रथम अनुसंधान अधिकारी पी.ड.11 उदयसिंह सहायक निरीक्षक व द्वितीय अनुसंधान अधिकारी पी.ड 12 प्रकाशचन्द्र पाटीदार एएसआई की साक्ष्य का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है तथा अनुसंधान अधिकारियों की साक्ष्य का विस्तार से विवेचन किया जाना समीचीन नहीं रह जाता है। इसी प्रकार पी.ड.14 नारू ने फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी.20 पर अपने हस्ताक्षर बताए हैं। परन्तु प्रतिपरीक्षा अधिवक्ता अभियुक्तगण में जाहिर करता है कि प्रदर्श पी.20 में क्या लिखा उसे नहीं पता, प्रदर्श पी.20 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने कोरे कागज पर करवाए थे। ऐसे में प्रदर्श पी.20 फर्द तस्दीक घटनास्थल की विश्वसनीयता पर प्रश्न-चिह्न लग जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 15.10.2024 को नक्शा व हालात मौका प्रदर्श पी.5 बनाया जा चुका था, ऐसे में घटनास्थल अनुसंधान अधिकारी की पूर्व जानकारी में आ चुका था, उसके बाद दिनांक 01.05.2025 को पुनः उसी स्थान की अभियुक्तगण से तस्दीक कराया जाने से अभियुक्तगण की इस प्रकरण में संलिप्तता साबित नहीं मानी जा सकती है।

32. चिकित्सीय साक्षी पी.ड.10 मुकेश कुमार मईड़ा ने इस प्रकरण में आहतगण राजू व विश्राम को कारित उपहतियों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन क्रमश प्रदर्श पी.2 एवं प्रदर्श पी.4 बनाए जाने तथा आहत राजू को एक गम्भीर उपहति पैर में अस्थिभंग, एक साधारण उपहति कारित होने एवं आहत विश्राम को दो खरोंच के निशान सामान्य प्रकृति की उपहतियां कारित होने की साक्ष्य दी है। परन्तु पी.ड.10 डॉ.मुकेश कुमार मईड़ा ने प्रतिपरीक्षा में आहत को कोई भी चोट प्राणघातक नहीं होने एवं सभी चोटें स्वयं द्वारा गिर जाने से आने की सम्भावना जताई है। आहतगण पी.ड.1 राजू व पी.ड.2 विश्राम ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज, हीरा, तुलसी, शीला द्वारा उन्हें चोटें कारित की हों, ऐसे में यह साबित नहीं माना जा सकता है कि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार आहतगण को कारित चोटें उक्त अभियुक्तगण द्वारा कारित की हों। इसके अतिरिक्त पी.ड.10 डॉ. मुकेश कुमार मईड़ा की प्रतिपरीक्षा के अनुसार आहत को कोई भी प्राणघातक चोट कारित नहीं होना प्रकट होता है।

33. उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन, विश्लेषण के उपरान्त, अभियोजन साक्ष्य की प्रकृति एवं स्तर को देखते हुए न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज, श्रीमती हीरा, श्रीकमती तुलसी, श्रीकती शीला ने दिनांक 07.10.2024 व 08.10.2024 की मध्य रात्रि में 02 बजे बाद मौजा शक्तिनगर नादिया में विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया हो और उसके सदस्य बने रहे हो तथा राजू व विश्राम को रोककर सदोष अवरोधित किया हो तथा राजू व विश्राम को स्वेच्छया लात-मुक्कों व कुन्द आलय से मारपीट कर साधारण उपहतियाँ कारित कीं हो तथा राजू व विश्राम को लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अश्लील गालीगलौच की हो तथा राजू को रस्सी से बांधकर सदोष परिरोधित किया हो तथा राजू को स्वेच्छया कुन्द आलय से गम्भीर उपहतियाँ अस्थिभंग कारित कीं हों। अभियोजन पक्ष यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है कि अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर इस आशय एवं ज्ञान से यह जानते हुए कि लठ से किसी व्यक्ति के शरीर मार्मिक स्थल पर चोट कारित करने पर उसकी मृत्यु हो सकती है, फिर भी आहत राजू को प्राणघातक उपहतियाँ कारित कीं हों। अतः अभियुक्तगण सन्दू उर्फ चन्दू, नन्दू, पंकज को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 117(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है तथा अभियुक्तगण श्रीमती हीरा, श्रीमती तुलसी, श्रीमती शीला को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

34. अतः अभियुक्तगण 1-सन्दू उर्फ चन्दू पुत्र लक्ष्मण गणावा उम्र 26 वर्ष निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान, 2-नन्दू पुत्र लक्ष्मण गणावा उम्र 35 वर्ष निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान, 3-पंकज पुत्र लक्ष्मण

गणावा उम्र 36 वर्ष निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान को धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 117(2), 109(1) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

35. अभियुक्तगण 4-श्रीमती हीरा पत्नी नन्दू निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान, 5-श्रीमती तुलसी पत्नी पंकज निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान, 6-श्रीमती शीला पत्नी चन्दू निवासी शक्तिनगर नादिया पुलिस थाना आम्बापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान को धारा 189(2), 126(2), 115(2), 352, 127(2), 117(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

36. अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अतः अभियुक्तगण की न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पेश जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

37. अभियुक्तगण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील होने की स्थिति में धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत राशि 10,000/-रुपये के जमानत-मुचलके पेश कर तस्दीक कराने हेतु आदेशित किया जाता है।

(डॉ. सरोज सींवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)

38. निर्णय आज दिनांक 18.06.2026 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सरोज सींवर)
अपर सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा (राज.)